न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 50 / 2020

सरकार बनाम् विजयसिंह,जयप्रकाश,सुभाष पुत्रगण सोहनलाल,

जाति–मेघवाल,निवासी–वार्ड न. 4 पिलोद

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 12.10.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान सुभाष, जयप्रकाश उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान विजय सिंह,जयप्रकाश,सुभाष पुत्रगण सोहनलाल जाति–मेघवाल निवासी– वार्ड न. 4 पिलोद द्वारा रोही मौजा पिलोद की भूमि ख.नं. 233 के कुल रकबा 11.30है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0. 1376 है0 भूमि में से 0.0501 है0 पर पक्का आवासीय मकान दो कोठी चार दिवारी तथा 0.0875 है0 पर लकडी,खाद गोबर बटोड़ा मिट्टी व पक्का निर्माण कर, अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान की ओर से जवाब नोटिस पेश किया गया कि प्रार्थी उक्त भूमि में कई वर्षो से आबाद है। तहसीलदार द्वारा जारी पट्टे की प्रति भी प्रस्तुत की। चूंकि भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ है। माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नादी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है एवं अतिचारी के विरूद्ध बेदखली के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 138 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 24 पर वर्ष 2020-21 में रूपये 138/- कायम किये
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़